

न्यायालय श्री मान् संस्य महोदय राजस्व परिष्कार वालियर बैंकिंग कॉर्ट रीवा

4/9/13  
29.8.13

म०प्र०

निगरानी प्रकरण क्रमांक /2013



G.F. 20/-

R. 3742 - ॥५॥१३

अधिवक्ता श्री रामगिरि शिंदा  
ड्यूटी रजिस्टर  
रीवा, मि-२९.८.१३

- 1- सुखमा लाल वेंगा ।
- 2- सुखनदेव वेंगा । वेंगे कैपिता अमरु वेंगा,
- 3- गोरे वेंगा तनय चुलादा वेंगा,
- 4- वाथराम तनय चेंडुआ वेंगा समी निवासीगण ग्राम दुलहरा, तहसील

मानपुर, ज़िला उमरिया म०प्र० ————— आपरितक्षण/ निगरानीकरण

### विस्तार

श्री मही पुनिया वाड़ी पुत्री इयाम्लाल शिंह गाँड़ निवासी ग्राम दुलहरा,  
तहसील मानपुर, ज़िला उमरिया म०प्र० ————— भैरनिगराकार

2- म०प्र० शासन

निगरानी विस्तार न्यायालय श्री मान्  
तहसीलकार महोदय, तहसील मानपुर,  
ज़िला उमरिया म०प्र० के राजस्व प्रकरण  
क्रमांक 36/अ-12/12-13 मे पारित आदेश  
दिनांक 7-8-2013

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० मूराजस्व  
संहिता सन 1959ई०

मान्यवर,

प्रकरण के संदिग्ध तथ्य

आदेशिका पुनिया वाड़ी द्वारा आराजी संसरा न०

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-आ

प्रकरण क्रमांक R3742-III/13

जिला-उमरिया

सुखमनलाल वैगा/ श्रीमती पुनिया बाई

(1)

(2)

(3)

०५।४।१९

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री संजय तिवारी उपस्थित।  
आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील मानपुर के  
प्रकरण क्रमांक 36/अ-12/2012-13 में पारित आदेश दिनांक  
07.08.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता  
में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन  
संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के  
अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई  
कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर  
को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक  
23.10.19 को कलेक्टर, जिला उमरिया के समक्ष उपस्थित हो।

(महेशवन्द्र चौधरी)  
सदस्य